"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 अप्रैल 2011—चैत्र 25, शक 1933

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2011

क्रमांक ई-1-2/2011/एक/2.—श्री विवेक ढांड, भा.प्र.से. (1981), प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा श्रम विभाग को केवल प्रमुख सचिव, श्रम विभाग के प्रभार से मुक्त करते हुये, अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा विकास आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्री आर. सी. सिन्हा, भा.प्र.से. (1982), आयुक्त, श्रम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदेन सचिव, श्रम विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

गृह (जनगणना) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2011

क्रमांक एफ 7-2/गृह-दो/(जनगणना)/2010.—नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण तथा राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 3 के साथ पठित नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार के आदेश क्रमांक एस. ओ. 596 (E) दिनांक 15 मार्च, 2010 द्वारा देश में जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने का निर्णय लिया गया है.

नागरिक पंजीकरण के महारजिस्ट्रार की सहायता हेतु जिला/तहसील/स्थानीय रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में सामान्य तौर पर रहने वाले सभी व्यक्तियों का डाटा बेस तैयार करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल एतद्द्वारा नीचे उल्लेखित अधिकारियों को उनके क्षेत्राधिकार में अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से नियुक्त करते हैं.

क्रम संख्या (1)	पदाधिकारी (2)	प्राधिकार (3)	क्षेत्राधिकार (4)
1.	जिला अध्यक्ष	जिला रजिस्ट्रार	उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत
2.	प्रशासक/आयुक्त नगर पालिक निगम द्वारा नामांकित अधिकारी.	स्थानीय रजिस्ट्रार	उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत
3.	तहसीलदार	तहसील रजिस्ट्रार	उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत
4.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी.	स्थानीय रजिस्ट्रार	नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत के सीमा अंतर्गत.
5.	पटवारी	स्थानीय रजिस्ट्रार	संबंधित पटवारी हल्का के गाँव

No. F 7-2/Home-Two/(Census)/2010.—In exercise of the power conferred by Section 18 of the Citizenship Act, 1955. Read with Rule 3 of the Citizenship (Registration of Citizens and issue of National Identity Cards) Rules-2003. The Central Government vide Order No. SO. 596 (E) dated 15th March 2010 has decided to prepare the Population Register in the Country.

To assist the Registrar General of Citizen Registration in preparation of the data base relating to all persons who are usually residing in Chhattisgarh, the Governor of Chhattisgarh is pleased to appoint the under mentioned District/Sub-District/Local Registrars for discharging duties within their respective jurisdiction in Chhattisgarh from 1st April, 2010.

Sl. No. (1)	State Govt. Officers (2)	Designation (3)	Jurisdiction (4)
1.	District Collector	District Registrar	Respective Jurisdiction
2.	Tahsildar	Sub-District Registrar	Respective Tahsil
3.	Officer nominated by Administrator/ Commissioner in Municipal Corporation.	Local Registrar	Respective Jurisdiction
4.	Chief Municipal Officer/Chief Executive Officer.	Local Registrar	Respective Jurisdiction of Municipality/Nagar Panchayat.
5.	Patwari	Local Registrar	Villages under respective Patwari circle.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश चन्द्र मिश्रा, सचिव.

सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2011

क्रमांक 99/सं.स./सू.प्रौ./स्था./2011.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 120/सं.स./सूप्रौ./स्था./2010, दिनांक 13-7-2010 के द्वारा श्री विनोद गुप्ता (भा.दू.सं.से.) को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (सचिव स्तर) चिप्स के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया गया था.

सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 9-21/2005/1-8, दिनांक 30-3-2011 के द्वारा श्री विनोद गुप्ता, (भा. दूरसंचार सेवा) को, उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के कारण दिनांक 31-3-2011 से उन्हें छत्तीसगढ़ शासन से भारमुक्त करते हुए उनकी सेवाएं दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को वापस की गई है.

अतः श्री विनोद गुप्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (सचिव स्तर), छत्तीसगढ़ इन्फोटेक एवं बायोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स के पद से दिनांक 31-3-2011 को एतद्द्वारा भारमुक्त किया जाता है.

श्री गुप्ता, श्री ए. एम. परियल, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स को अपने पद का कार्यभार सौंप कर भारमुक्त होंगे.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव.

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2011

क्रमांक 07/तक./परि./2011.—छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 65, 96 एवं धारा 111 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके की इससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस के अवसान पर विचार किया जाएगा.

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, प्रमुख सचिव (परिवहन) छत्तीसगढ़ शासन, (कक्ष क्र. 384) दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में, प्राप्त हो, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,—

1. नियम 47 के खण्ड (क) में शब्द तथा अंक "रुपये 50" के स्थान पर शब्द तथा अंक "रुपये 200" प्रतिस्थापित किया जाए.
2. नियम 47 के खण्ड (ख) में शब्द तथा अंक "रुपये 100" के स्थान पर शब्द तथा अंक "रुपये 300" प्रतिस्थापित किया जाए.

3. नियम 63 के उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1) राज्य परिवहन प्राधिकरण के सुचारू संचालन के लिए निम्नलिखित अधिकारी होंगे :—

(एक) अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, राज्य परिवहन प्राधिकरण का पदेन सचिव होगा.

(दो) संयुक्त परिवहन आयुक्त, प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव होंगे, उप परिवहन आयुक्त, उप सचिव होंगे एवं सहायक परिवहन आयुक्त, सहायक सचिव होंगे और उनको अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर आदेश द्वारा कार्यों का समनुदेशन किया जाएगा."

4. नियम 184 के उपनियम (3) के खण्ड (1) में शब्द तथा अंक "रुपये 1000.00" के स्थान पर शब्द तथा अंक "रुपये 3000.00" प्रतिस्थापित किया जाए.

5. नियम 184 के उपनियम (3) के खण्ड (2) में शब्द तथा अंक "रुपये 1500.00" के स्थान पर शब्द तथा अंक "रुपये 5000.00" प्रतिस्थापित किया जाए.

No. 07/तक./परि./2011.—The following draft of amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, which the State Government proposed to make in exercise of the powers conferred by Sections 65, 96 and Section 111 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objection or suggetions regarding the said draft received from any person before the specified period, in office hours, by the office of the Principal Secretary (Transport), Government of Chhattisgarh, (Room No. 384), Dau Kalyan Singh Bhawan, Mantralaya Raipur shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,—

1. In clause (a) of Rule 47, for the words and figure "Rs. 50/-" the words and figure "Rs. 200/-" shall be substituted,

2. In clause (b) of Rule 47, for the words and figure "Rs. 100/-" the words and figure "Rs. 300/-" shall be substituted.

3. For sub-rule (1) of Rule 63, the following shall be substituted, namely :—

"(1) The State Transport Authority shall have the following official for the smooth functioning :—

(i) Additional Transport Commissioner shall be the Ex-Officio Secretary of the State Transport Authority.

(ii) Joint Transport Commissioner shall be the Additional Secretary, Deputy Transport Commissioner shall be the Deputy Secretary and Assistant Transport Commissioner shall be the Assistant Secretary to the Authority and work shall be assigned to them by the Chairman, State Transport Authority from time to time by an order."

4. In clause (1) of sub-rule (3) of Rule 184, for the words and figure "Rs. 1000.00" the words and figure "Rs. 3000.00" shall be substituted.

5. In clause (2) of sub-rule (3) of Rule 184, for the words and figure "Rs. 1500.00" the words and figure "Rs. 5000.00" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. मरावी, सचिव.

कृषि (मछली पालन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 मार्च 2011

क्रमांक एफ 1-2/08/36/स्था.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मत्स्योद्योग (राजपत्रित) सेवा की भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.-** (1) ये नियम छत्तीसगढ़ मत्स्योद्योग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम - 2010 कहलाएंगे ।
(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषायें.-** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः-

(क) सेवा के संबंध में ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, शासन;

(ख) ''आयोग'' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;

(ग) ''परीक्षा'' से अभिप्रेत है, नियम 11 के अंतर्गत भर्ती के लिए ली गई प्रतियोगिता परीक्षा;

(घ) ''शासन'' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;

(ङ.) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

(च) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(छ) ''राज्य'' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य;

(ज) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(झ) ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ञ) ''अन्य पिछडा वर्ग'' से अभिप्रेत है, सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित समसंख्यक अधिसूचना कमांक एफ 8-5-पच्चीस 4-84, दिनांक 26 दिसंबर 1984 द्वारा यथा विर्निदिष्ट नागरिकों के अन्य पिछडे वर्ग;

(ट) ''सेवा'' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ मत्स्योद्योग (राजपत्रित) सेवा।

3. **विस्तार तथा प्रयुक्ति.**– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे ।

4. **सेवा का गठन.**– सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थातः–
   (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पद मूल रूप से धारण कर रहे हों;
   (2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गए हों; और
   (3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती गए हों ।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**– सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान अनुसूची–एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगें ।

   परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में समय–समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी ।

6. **भर्ती का तरीका.**– (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थातः–
   (क) चयन करके, सीधी भर्ती द्वारा;
   (ख) छत्तीसगढ़ मत्स्योद्योग (राजपत्रित) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के द्वारा जो अनुसूची–चार के कॉलम (2) में दर्शाये गए पदों को मूल या स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हो;
   (ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा ऐसी सेवाओं में ऐसे पद, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये, मूल रूप से धारण करते हों।
   (2) उप–नियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किये गए व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के अनुसूची–दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी ।
   (3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरे जाने के प्रयोजन के लिये, जिसको या जिनको कि भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके से भर्ती किये व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा, आयोग के परामर्श से अवधारित की जाएगी।
   (4) उप–नियम (1) मे अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो तो सामान्य प्रशासन विभाग, आयोग से पूर्व परामर्श करने के पश्चात, सेवा में भर्ती संबंधी उन तरीकों को छोड़, जिनका उक्त उप–नियम में उल्लेख किया गया है, ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा, जो शासन द्वारा इस संबंध में जारी किए गए आदेश द्वारा विहित किए जाएं ।
   (5) सेवा में भर्ती करते समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्यं पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधानों तथा इस

अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देश (यथा संशोधित) लागू होंगे ।

7. **सेवा में नियुक्ति.–** इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं ।

8. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता संबंधी शर्तें.–** चयन हेतु पात्र होने के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात:–

(एक) आयु– (क) उसने चयन के प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिवस को अनुसूची-तीन के कालम (3) में विहित आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कालम (4) मे विहित आयु पूरी न की हो ।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडा वर्ग का हो, तो उच्च आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी ।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष शिथिलनीय होगी ।

(घ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंधी में भी जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जाएगी :–

(एक) ऐसे अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु के नहीं होने चाहिए;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी पद धारण कर रहा है और किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा है, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह छूट आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी, को जो ''छटनी किया गया शासकीय सेवक'' है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष की सीमा तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते कि उसके परिणाम-स्वरुप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो;

स्पष्टीकरण: शब्द ''छटनी किये गये शासकीय सेवक'' से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किसी भी संघटक इकाईयों की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम 6 मास की निरंतर कालावधि तक रहा हो

और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो ।

(ड.) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते कि उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरणः शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 मास की निरंतर कालावधि तक नियोजित रहा हो और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफरिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी कर दी गई हो या जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित कर दिया गया होः-

(1) ऐसे "भूतपूर्व सैनिक", जो समयपूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन, मुक्त किये गये हैं;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया है और जिन्हे-

(क) अल्पकालीन वचनबन्ध के पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्ते पूर्ण हो जाने पर,सेवामुक्त कर दिया गया है ।

(3) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक), (जिनमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं) जिन्हें उनकी संविदा पूरी हो जाने पर सेवामुक्त किया गया है;

(4) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर 6 माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य कर लेने के पश्चात् सेवामुक्त किया गया है;

(5) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया है;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवामुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने के योग्य नहीं है;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनको गोली लग जाने, घाव इत्यादि हो जाने आदि के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया है ।

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 2 वर्ष तक की छूट दी जाएगी ।

(छ) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अनुसार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पार्टनर के के संबंध में उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी ।

(ज) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाडी अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार धारक युवा अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(झ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी है, को उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 38 वर्ष की आयु तक छूट दी जाएगी ।

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के अनायुक्त (नान कमींशण्ड) अधिकारियों की दशा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्षो की सीमा के अध्याधीन रहते हुए छूट दी जाएगी किन्तु किसी भी स्थिति में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

टीप :(1) उपर्युक्त उप-खण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखत आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियायें को चयन में प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन-पत्र भेजने के पश्चात्, परीक्षा/चयन के पहले अथवा बाद में सेवा से त्याग-पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होगें। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छटनी की जाए तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे ।

(2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जाएंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिये अपने नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

(ट) उपरोक्त किसी भी एक या एक से अधिक आधार पर, छूट का लाभ दिए जाने के उपरान्त भी शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(ठ) उपरोक्त के अतिरिक्त आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे ।

(दो) **शैक्षणिक अर्हताएं**-अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हतायें होनी चाहिए, जैसी कि अनुसूची-तीन में दर्शाई गई है।

(तीन) **फीस** : अभ्यार्थी को आयोग द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता.**– अभ्यर्थी की ओर से, अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्ही भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को आयोग द्वारा उसे चयन के लिये निरर्हित माना जा सकेगा।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा.**– चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में आयोग का विनिश्चय अन्तिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी का, जिसे आयोग ने प्रवेश प्रमाण पत्र जारी न किया हो, साक्षात्कार नहीं दिया जाएगा ।

11. **चयन/प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती.**– (1) सेवा में भर्ती के लिये चयन, ऐसे अंतरालों पर किया जाएगा, जैसा कि शासन, आयोग के परामर्श से समय–समय पर अवधारित करें.

(2) सेवा के लिये अभ्यार्थियों का चयन आयोग द्वारा उनके साक्षात्कार के पश्चात् किया जाएगा ।

(3) सेवा में भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (कमांक 21 सन 1994) के उपबंधों तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस नियम के अंतर्गत समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे ।

सीधी भर्ती के के लिए उपलब्ध रिक्तियों का 30 प्रतिशत महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित होगा तथा ऐसा आरक्षण समस्तर एवं प्रभागवार होगा। पद शासन द्वारा निश्चित किये गये रोस्टर अनुसार भरे जाएंगे ।

(4) उपर्युक्त के अतिरिक्त विकलांग/भूतपूर्व सैनिकों के लिए समय–समय पर शासन द्वारा जारी किए गए अधिनियम/नियम/आदेश/निर्देश के अनुसार पद आरक्षित रखे जाएंगे ।

(5) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरने में अभ्यर्थी, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गो के सदस्य है, की नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट–सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो ।

(6) उपर्युक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी, जो महिला/विकलांग/भूतपूर्व सैनिक है तथा जिन्हें आरक्षण के फलस्वरूप चयनित किया जाए, की नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम, नियम 12 में निर्दिष्ट–सूची में आये हों चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो ।

(7) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडा वर्गो के उन अभ्यर्थियों को जिन्हें आयोग द्वारा प्रशासन की दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुये सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया गया हो, उप–नियम (5) के अधीन यथा–स्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडा वर्गो के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

12. **आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची.**– (1)आयोग ऐसे अभ्यर्थियों की, जो ऐसे स्तर से, जैसा कि आयोग अवधारित करे, अर्ह हो तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडा वर्ग

के ऐसे अभ्यर्थियों की, जो यद्यपि उस स्तर से अर्ह न हों, फिर भी प्रशासन की दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुये, आयोग द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किये गये हो, उनके योग्यता क्रम से बनाई गई एक सूची सरकार को अग्रेषित करेगा । सूची को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित किया जायेगा ।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यार्थियों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिसमें कि उनके नाम सूची में आये हों ।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक कि सरकार का, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाय कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है ।

13. **परिवीक्षा.–** (1)सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा ।

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्तिः** (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए समिति गठित की जाएगी जिसमें अनुसूचि–चार में उल्लिखित सदस्य होंगेः

परन्तु, इस उप–नियम के अधीन, समिति के गठन के लिए छत्तीसगढ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे ।

(2) समिति सामान्यतः एक वर्ष से अनधिक के अन्तरालों में अपनी बैठक करेगी ।

(3) प्रत्येक पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा माडल रोस्टर के अनुसार की जाएगी ।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, उप–नियम (3) एवं शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार रहेगी ।

15. **पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें.–** (1) उप–नियम (2) के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिवस को, अनुसूची–चार के कालम (2) में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार उस पद पर जिससे पदोन्नति की जानी है, या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित किसी अन्य पद या पदों पर उतने वर्ष की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) पूरी कर ली हो तथा जो उप– नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण के क्षेत्र में आते हों ।

स्पष्टीकरण : पदोन्नति के लिए पात्रता की संगणना की रीति : संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को, अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमे लोक सेवक, फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है तथा संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) चयन का क्षेत्र योग्यता सह–वरिष्ठता के आधार पर भरे जाने वाले पदों के संबंध में चयन सूची में संबंधित अधिकारियों की संख्या के सात गुने तक सीमित होगा :

परंतु यदि इस प्रकार अवधारित किये गये उपयुक्त अधिकारियों की अपेक्षित संख्या क्षेत्र में उपलब्ध न हो, तो समिति द्वारा आवश्यक विचार कर लिखित में कारणों को दर्शाते हुए क्षेत्र का विस्तार किया जा सकेगा ।

(3) उप–नियम (2) के अंतर्गत प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त पूर्वोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के नाम चयन सूची में सम्मिलित करने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर भी विचार किया जाएगा ।

(4) पदोन्नति शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार की जाएगी।

(5) छ.ग. लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अन्य प्रावधान पदोन्नति कें लिए लागू होंगे ।

16. **उपयुक्त अधिकारियों की सूची तैयार करना.–** (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 15 में निर्धारित शर्तो को पूरी करते हों, तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझा गया हो । सूची, चयन सूची के तैयार किए जाने की तारिख से एक वर्ष के भीतर सेवा–निवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी । इसके अतिरिक्त, उक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए आरक्षित सूची भी प्रस्तावित की जाएगी ।

(2) उपयुक्त अधिकारियों की सूची छ.ग. लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003, के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जाएगी ।

(3) इस प्रकार तैयार की गई सूची प्रतिवर्ष पुनर्विलोकित तथा पुनरीक्षित किया जाएगी ।

(4) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यह प्रस्तावित किया जाए कि सेवा के किसी सदस्य का अवक्रमण किया जाना है तो समिति प्रस्तावित अवक्रमण के संबंध में अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी ।

17. **आयोग से परामर्श.–** (1) नियम 15 के अनुसार तैयार की गई सूची निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आयोग को भेजी जाएगी :–

(एक) सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के अभिलेख ।

(दो) अनुसूची–4 के कॉलम (2) में उल्लिखित ऐसे सभी सदस्यों के अभिलेख, जिनका सूची में की गई सिफारिशों के अनुसार अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित हो ।

(तीन) अनुसूची–4 के कॉलम (2) में उल्लिखित अनुसार सेवा के किसी सदस्य के प्रस्तावित अवक्रमण के संबंध में समिति द्वारा लेखबद्ध किए गए कारण, और

(चार) समिति की सिफारिशों पर शासन की टिप्पणियाँ ।

(2) यदि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में आयोग के अध्यक्ष/अध्यक्ष के रूप में नामांकित आयोग के सदस्य उपस्थित रहे हों तथा सिफारिशों के संबंध में बैठक की कार्यवाही विवरण पर अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हों, तो उप-नियम (1) की कार्यवाही आवश्यक नहीं होगी ।

18. **चयन सूची.**– (1) शासन द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची सेवा के सदस्यों की अनुसूची-चार के कालम (3) में दर्शाये गये पद पर अनुसूची-चार के कालम (2) में दर्शाये गये पद से पदोन्नत करने के लिए चयन सूची होगी ।

(2) चयन सूची सामान्यतः तब तक प्रवृत्त रहेगी, जब तक कि नियम 16 के उप-नियम (3) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण न किया जाए, किन्तु इस सूची की वैद्यता इसके तैयार करने की तारीख से 18 माह की कुल कालावधि के परे नहीं बढ़ाई जा सकेगीः

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में शासन के अनुरोध पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि, आयोग उचित समझे, तो चयन-सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा ।

19. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**–(1)चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां उसी कम से की जावेंगी, जिस कम से ऐसे अधिकारियों के नाम संवर्ग सूची में हो ।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किए जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख़ के बीच की कालावधि में उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट उत्पन्न न हो जाए जो शासन, की राय में सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो ।

20. **परीवीक्षा.**– पदोन्नति द्वारा भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिए परीवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा ।

21. **निर्वचन.**–
यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उदभूत होता है, तो वह शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा ।

22. **शिथिलीकरण.**– इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को जो उसे उचित एवं साम्यपूर्ण प्रतीत हो सीमित या कम करती है :

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा, जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो ।

23. **निरसन और व्यावृत्ति.**– (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी ।

(दो) इन नियमों में की कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ा वर्गो के लिए उपबंधित किए जाने हेतु आरक्षण पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप सचिव.

अनुसूची - एक
(नियम 5 देखिए)

छत्तीसगढ़ मत्स्योद्योग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम

स. क.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या			वर्गीकरण	वेतनमान	ग्रेड वेतन	टिप्पणी
		स्थाई	अस्थाई	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	संचालक मत्स्योद्योग	1	–	1	प्रथम श्रेणी	37400-67000/-	8900/-	–
2.	संयुक्त संचालक मत्स्योद्योग	2	–	2	प्रथम श्रेणी	15600-39100/-	7600/-	–
3.	उप संचालक मत्स्योद्योग	7	–	7	प्रथम श्रेणी	15600-39100/-	6600/-	–
4.	सहायक संचालक मत्स्योद्योग	20	–	20	द्वितीय श्रेणी	15600-39100/-	5400/-	–
5.	सहायक संचालक मत्स्योद्योग (सांख्यिकी)	1	–	1	द्वितीय श्रेणी	9300-34800/-	4400/-	–
6.	लेखाधिकारी	1	–	1	द्वितीय श्रेणी	15600-39100/-	5400/-	–

(अनुसूची–दो)
(नियम 6 देखिए)

छत्तीसगढ़ मत्स्योद्योग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम

विभाग का नाम	सेवा तथा पद का नाम	कर्त्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत		
			सीधी भर्ती द्वारा (देखिये नियम 6–क)	सेवा के मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (देखियें नियम 6–ख)	अन्य सेवा से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा (देखिये नियम 6–ग)
1	2	3	4	5	6
मत्स्योद्योग विभाग	छत्तीसगढ़ मत्स्योद्योग (राजपत्रित) सेवा				
	प्रथम श्रेणी		**प्रतिशत**	**प्रतिशत**	–
	संचालक मत्स्योद्योग	1	–	100	पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा
	संयुक्त संचालक मत्स्योद्योग	2	–	100	–
	उप संचालक मत्स्योद्योग	7	–	100	–
	द्वितीय श्रेणी				
	सहायक संचालक मत्स्योद्योग	20	25	75	–
	सहायक संचालक मत्स्योद्योग (सांख्यिकी)	1	–	100	–
	लेखाधिकारी	1	–	–	कोष लेखा एवं पेंशन से प्रतिनियुक्ति पर

अनुसूची–तीन
(नियम 8 देखिए)

छत्तीसगढ़ मत्स्योद्योग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम

विभाग का नाम	पदनाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम (उच्च) आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
मत्स्योद्योग विभाग	सहायक संचालक मत्स्योद्योग	28	32 वर्ष	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मत्स्य तथा मत्स्योद्योग या इक्थियोलॉजी के विशेष विषय के साथ प्राणीशास्त्र में कम से कम द्वितीय श्रेणी में एम.एस–सी. **और** आई.सी.ए.आर. फिशरीज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (सहायक मत्स्योद्योग अधिकारी स्तरीय) या मत्स्योद्योग प्रशिक्षण संस्थान रायपुर (सहायक मत्स्योद्योग अधिकारी स्तरीय पाठ्यक्रम) से अंतर्देशीय मत्स्योद्योग में प्रशिक्षण **या** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंतर्देशीय मत्स्योद्योग में एम.एफ. एस.सी. उत्तीर्ण 2. किसी भी शासकीय मत्स्योद्योग विभाग या अर्धशासकीय मत्स्योद्योग संगठन या आई.सी.ए.आर. मत्स्योद्योग संस्थान में सहायक मत्स्योद्योग अधिकारी/अनुसंधान सहायक या समकक्ष पद पर अंतर्देशीय मत्स्योद्योग विकास या अनुसंधान या दोनो का लगातार 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव ।	

टीपः– छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा समय–समय पर शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी ।

अनुसूची–चार
(नियम 14 एवं 15 देखिये)

छत्तीसगढ़ मत्स्योद्योग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम

विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु अर्हता की पात्रता की कालावधि (नियम 15(1) देखिये)	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
1	2	3	4	5
मत्स्योद्योग विभाग	1. संयुक्त संचालक मत्स्योद्योग	संचालक मत्स्योद्योग	संयुक्त संचालक के पद पर 3 वर्ष का अनुभव	1. मुख्य सचिव – **अध्यक्ष** 2. वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव – **सदस्य** 3. कृषि उत्पादन आयुक्त/ अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव मत्स्योद्योग विभाग– **सदस्य** 4. संयुक्त सचिव/उप सचिव मत्स्योद्योग विभाग – **संयोजक**
	2. उप संचालक मत्स्योद्योग	संयुक्त संचालक मत्स्योद्योग	उप संचालक मत्स्योद्योग के पद पर 5 वर्ष का अनुभव	1. लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य – **अध्यक्ष** 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त/सचिव मत्स्योद्योग विभाग – **सदस्य** 3. संचालक मत्स्योद्योग – **सदस्य**
	3. सहायक संचालक मत्स्योद्योग	उप संचालक मत्स्योद्योग	सहायक संचालक मत्स्योद्योग के पद पर 5 वर्ष का अनुभव	1. लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य – **अध्यक्ष** 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त/सचिव मत्स्योद्योग विभाग – **सदस्य** 3. संचालक मत्स्योद्योग – **सदस्य**
	4. सहायक मत्स्योद्योग अधिकारी	सहायक संचालक मत्स्योद्योग/ सहायक अनुसंधान अधिकारी (मत्स्योद्योग)	किसी प्रशिक्षण केन्द्र जैसे आई.सी.ए.आर. तथा छ.ग. रायपुर प्रशिक्षण केन्द्र से अंतर्देशीय मत्स्योद्योग में (सहायक मत्स्योद्योग अधिकारी) (के स्तर पर) प्रशिक्षित हो या सहायक मत्स्योद्योग अधिकारी या उसके समतुल्य पद पर 5 वर्ष का अनुभव हो या एम.एफ. एस.सी. मत्स्योद्योग	1. लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य – **अध्यक्ष** 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त/सचिव मत्स्योद्योग विभाग – **सदस्य** 3. संचालक मत्स्योद्योग – **सदस्य**

			और सहायक मत्स्योद्योग अधिकारी या उसके समतुल्य पद पर 5 वर्ष का अनुभव ।	
	5. सहायक सांख्यिकी अधिकारी	सहायक संचालक मत्स्योद्योग (सांख्यिकी)	सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर 5 वर्ष का अनुभव या विभाग में उपयुक्त अभ्यार्थी के उपलब्ध न होने की दशा में आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से प्रतिनियुक्ति पर	1. लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य - अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त/सचिव मत्स्योद्योग विभाग - सदस्य 3. संचालक मत्स्योद्योग - सदस्य

Raipur, the 29th March 2011

No. F-1-2/08/36/Estt.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following rules, relating to the recruitment of Chhattisgarh Fisheries (Gazetted) service, namely:-

RULES

1. **Short title and Commencement.-** (1) These rules may be called the Chhattisgarh Fisheries (Gazetted) service, Recruitment Rules, 2010.

   (2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires, -

   (a) "Appointing Authority" in respect of servicc means the Government;

   (b) "Commission" means the Chhattisgarh Public Service Commission;

   (c) "Examination" means the competitive examination held for recruitment conducted under rule 11;

   (d) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

   (e) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;

(f) "Schedule" means the Schedule appended to these rules;

(g) "State" means the State of Chhattisgarh;

(h) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this state under Article 341 of the Constitution of India;

(i) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this state under Article 342 of the Constitution of India;

(i) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide notification no. F-8-5-XXV-4-84, dated the 26th December, 1984 as amended from time to time.

(k) "Service" means the Chhattisgarh Fisheries (Gazetted) service.

3. **Scope and Application.-** Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. **Constitution of the Service.-** The Service shall consist of the following persons, namely:-

(1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule-I;

(2) Persons recruited to the Service before the commencement of these rules; and

(3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of Pay etc.-** The classification of the Service, the number of posts included in the Service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. Method of Recruitment.-(1) Recruitment to the service, after the Commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely :-

(a) by direct recruitment, by selection.

(b) by promotion of member of the Chhattisgarh Fisheries (Gazetted) service holding substantive or officiating posts as shown in column (2) of schedule-IV;

(c) by transfer of persons who hold in a substantive capacity such posts in such services, as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause(c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject of the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by such methods, shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the commission.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the exigencies of the service so require, the General Administration Department may, after prior consultation with the Commission adopt such method of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule as it may, by order issued by the Government in this behalf, prescribe.

(5) At the time of recruitment to the service the provisions of Chhattisgarh Lok Sewa (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and instructions (as amended) issued from time to time under this Act by the General Administration department of Government shall apply.

7. **Appointment in service.-** All appointments to the service. after commencement of these rules, shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.-** In order to be eligible for selection a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(1)Age - (a) He must have attained the age prescribed in column (3) of Schedule III and not attained the age specified in column (4) of the said Schedule on the First Day of January next following the date of commencement of the selections.

(b) The upper age limit shall also be relaxable up to maximum of 5 years if a candidate belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward classes.

(c) For women candidates the upper age limit shall be relaxable up to 10 years as per Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rule, 1997.

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates, who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the conditions specified below :-

(i) A candidate, who is a permanent or temporary Government Servant should not be more that 38 years of age;

(ii)A candidate holding a post temporarily and applying for any other post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the project Implementation Committee;

(iii) A candidate, who is a "retrenched Government Servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not

exceed the upper age limit by more than three years;

Explanation- The term "retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government Service of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government Service.

(e) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation-The term "Ex-service-man" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service:-

(1) Ex-serviceman released under mustering out concessions;

(2) Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on -

(a) Completion of short term engagement;

(b) Fulfilling the conditions of enrolment;

(3) Ex-servicemen (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service Regular Commissioned Officers);

(4) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(5) Ex-servicemen invalidated out of service;

(6) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(7) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun shot wounds etc;

(f) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of two years in respect of Green Cards holder candidate under the Family Welfare Programme.

(g) The upper age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter-caste marriage incentive scheme as per Chhattisgarh Inter Caste Marriage Promotional Scheme under untouchability erradication Rule, 1984;

(h) The upper age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of the Shahid Rajeev Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveerchand Bhanjdev Award holder player candidates and National Youth Award holder young candidates;

(i) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 38 years of age in respect of candidates who are the employees of Chhattisgarh State Corporations/ Boards;

(j) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and non-Commissioned Officers of Home Guard for the period of Home Guard service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

Note: (1): The Candidates who are admitted to the selection under the age concessions mentioned in sub-clause (i) and (ii) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign

from service either before or after taking the examination/selection. They will, however continue to be eligible, if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

(2) In no other case these age limits shall be relaxed. The Departmental candidates must obtain previous permission of their appointing authority to appear for the selection.

(k) After providing relaxation on the basis of any one or more of the above for entering in Government service the maximum age limit must not exceed 45 years.

(l) Apart from above in respect of age limit, the direction issued by General Administration Department of the Government from time to time shall also be applicable.

(2) Educational Qualification:- The candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III.

(3) Fees:- The candidate must pay the fees as prescribed by the Commission.

9. Disqualification.-Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to disqualify him for selection.

10. Commission's decision about the eligibility of the candidates shall be final.- The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and no candidate, to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission shall allowed to be interview.

11. Direct recruitment by Selection/Competitive Examination.- (1) Selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government may, in consultation with the Commission from time to time, determine.

(2) The selection of candidates for the service shall be made by the Commission after interviewing them.

(3) At the time of recruitment in the service the provisions of the Chhattisgarh Lok Sewa (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the directions issued under this rule by General Administration Department of the Government from time to time shall be applicable.

30 percent of the available vacancies for direct recruitment shall be reserved for woman candidate and such reservation will be horizontal and compartment wise. Post will be filled according to roster determined by the Government.

(4) In addition to above, the post for handicapped/ex-serviceman shall be reserved in accordance with the Act/Rule/Order/Instruction issued be the Government from time to time.

(5) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relatives rank as compared with other candidates.

(6) In addition to above the candidates who may woman/handicapped. ex-serviceman and who is selected consequent to reservation, shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relatives rank with other candidates.

(7) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes declared by the Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be under sub-rule (5).

12. List of Candidates recommended by the Commission.-(1) The Commission shall forward to the Government a list arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as the commission may determine and the list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by that standard, are declared by the commission to be suitable for appointment to the service, with due regard to the maintenance of efficiency of the administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961 candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidates name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service.

13. Probation.- Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

14. Appointment by Promotion.- (1) There shall be constituted a committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates;

Provided that, under this sub-rule, for constitution of the committee, provisions of section 8 of Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall also be applicable.

(2) The committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) Every promotions shall be made in accordance with the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Paddonnati) Niyam, 2003 and as per model roster.

(4) The Procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with sub-rule (3) and the instruction issued by the General Administration Department of the Government from time to time.

15. Conditions of eligibility for promotion. - (1) Subject to the provisions of sub-rule (2) the committee shall consider the cases of all persons who on 1st Day of January of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) in the posts, from which promotion is to be made as specified in column (2) of Schedule IV or any other post or posts declared equivalent there to by the Government, and are within the Zone of consideration in accordance with the provisions of sub rule (2).

Explanation- Method of calculation for eligibility for promotion:- The calculation of the period of qualifying services on 1st January of the relevant year in which the departmental promotion committee/selection committee is convened shall be counted from the calendar year in which the public servant has joined the feeder cadre/part of service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of service/pay scale of the post.

(2) The filled of selection shall ordinarily be limited to seven times the number of officers to be included in the select list in respect of posts to be filled on the basis of merit-cum-seniority:

Provided that if the required number of suitable officers are not available in the filled, so determined, the filled may be enlarged to the extent considered necessary by the Committee by mentioning the reasons in writing.

(3) The name of public servants in requisite number for each cadre shall be considered for the purpose of inclusion of his name up to 25 percent of number of public servant included in the selection list or to that of two

public servant whichever is more, to fill the unexpected vacancies during above said duration apart from expected vacancies under sub-rule (2).

(4) Promotion shall be made in accordance with the reservation roster prescribed by the Government.

(5) Other provisions of Chhattisgarh Lok Sewa (Paddonnati) Niyam, 2003 will be applicable for promotion.

16. Preparation of the list of suitable Officers.- (1) The committee shall prepare a list of such persons as to satisfy the conditions prescribed in Rule 15 above and as are held by the committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement & promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A part form this, reserve list shall also be proposed to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of the aforesaid periods.

(2) The list of suitable officers shall be prepared as per the provisions of Chhattisgarh Lok Sewa (Paddonnati) Niyam, 2003.

(3) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(4) If in the process of selection, reviews or revision it is proposed to supersede any member of the service, the committee shall record its reasons for the proposed super session.

17. Consultation with the Commission.- (1) The list prepare in accordance with rule 15 shall be sent to the Commission along with following documents:-

(i) the record of all the persons included in the list .

(ii) the record of all such persons mentioned in column (2) of schedule IV who are proposed for super session as recommended in the list.

(iii) recorded reasons of the committee for the proposed super session of any person falling in the service as mentioned in column 2 of schedule IV.

(iv) remarks of the Government on the recommendations of the committee.

(2) If the Chairman of the commission/nominated member of the Commission as a chairman remains present in the meeting of Departmental Promotion Committee and the proceedings of the meeting has the signatures of the Chairman including all members regarding recommendations, than action to be taken under sub-rule (1) shall not be mandatory.

18. Select list.- (1) The list as finally approved by the Government shall form the select list for promotion of the members of the service from the posts shown in Column (2) of Schedule-IV to the posts shown in Column (3) of Schedule-IV.

(2) The select list ordinarily be in force until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (3) of rule 16 but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation:

Provided that in the event of lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of Government and the Commission, may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

19. Appointment to the Service from the Select List.- (1) Appointment of the officers included in the select list to post borne on the cadre of the service shall follow the order in which the names of such officers appear in the cadre list.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the commission before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of proposed appointment, there occurs

any deterioration in his work which, in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable of appointment to the service.

20. **Probation.-** Every person recruited to the service by promotion shall be appointed on probation for a period of two years.

21. **Interpretation:-** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.

22. **Relaxation.-** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person, to whom these rules apply in such manner, as may appear to it to be just and equitable:

provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

23. **Repeal and saving :- (i)** All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

(ii) Nothing in these rules shall affect reservation to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes in accordance with the orders by the State Government from time to time in this regard.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
YACUB KHESS, Deputy Secretary.

SCHEDULE – I
(See Rules 5)

Chhattisgarh Fisheries (Gazetted) Service Recruitment Rules

S.No.	Name of post included in the service	Number of posts			Classification	Scale of pay	Grade Pay	Remarks
		Permanent	Temporary	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Director Fisheries	1	-	1	Class – I	37400-67000	8900/-	-
2.	Joint Director Fisheries	2	-	2	Class-I	15600-39100	7600/-	-
3.	Deputy Director Fisheries	7	-	7	Class – I	15600-39100	6600/-	-
4.	Assistant Director Fisheries	20	-	20	Class – II	15600-39100	5400/-	-
5.	Assistant Director Fisheries (Statistics)	1	-	1	Class – II	9300-34800	4400/-	-
6.	Accounts Officer	1	-	1	Class – II	15600-39100	5400/-	-

SCHEDULE – II
(See Rules 6)

Chhattisgarh Fisheries (Gazetted) Service Recruitment Rules

Name of the Department	Name of service and post	Total no. of duty posts	Percentage of the number of duty post to be filled in		
			By direct recruitment {vide rule 6 (a)}	By promotion of substantive member of service {vide rule 6 (b)}	By transfer of person from other service {vide rule 6 (c) }
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fisheries Department	Chhattisgarh fisheries (Gazetted) Service				
	Class – I		Percentage	Percentage	
	Director Fisheries	1	-	100	By promotion or deputation
	Joint Director Fisheries	2	-	100	
	Deputy Director Fisheries	7	-	100	
	Class – II				
	Assistant Director Fisheries	20	25	75	
	Assistant Director Fisheries (Statistics)	1	-	100	
	Accounts Officer	1	-	-	Deputation from treasury account and pension

SCHEDULE – III
(See Rules 8)

Chhattisgarh Fisheries (Gazetted) Service Recruitment Rules

Name of Department	Name of Post	Minimum Age limit	Maximum (upper) Age limit	Prescribed educational qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fisheries Department	Assistant Director Fisheries	28	32 Years	1. M.S. Zoology minimum second division from a recognized University with special subject of Fish and Fisheries of Ichthyology AND Training in inland Fisheries from ICAR fisheries Training Institute (AFO level) or Fisheries Training Institute Raipur (Assistantt Fisheries Officer level Course) OR M.F.Sc. in Inland Fisheries from a recognized University 2. Continuous five years working experience in Inland Fisheries Development or Research or both in the post of AFO/RA or equivalent in any Government Fisheries Department or Semi Government Fisheries Organisation or ICAR Fisheries Institute.	

Note :- The upper age limit shall be relaxable in accordance of the directions issued by the General Administration Department of the Government from time to time for local domiciles candidates of Chhattisgarh.

SCHEDULE – IV
(See Rule 14 and 15)

Chhattisgarh Fisheries (Gazetted) Service Recruitment Rules

Name of Department	Name of Service or post from which promotion is to be made	Name of Service or post on which promotion is to be made	Period of eligibility of qualification for promotion (see rule 15(1))	Name of members of the departmental promotion Committee
1	2	3	4	5
Fisheries Department	1. Joint Director Fisheries	Director Fisheries	Three years experience on the post of Joint Director	1. Chief Secretary – **Chairman** 2. Senior most Additional Chief Secretary – **Member** 3. Agricultural Production Commissioner /Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary Fisheries Department – **Member** 4. Joint Secretary/Deputy Secretary Fisheries Department – **convener**
	2. Deputy Director Fisheries	Joint Director Fisheries	Five years experience on the post of Deputy Director Fisheries	1. Chairman of Public Service Commission or any member of Public Service Commission nominated by him – **Chairman** 2. Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ Agricultural Production Commissioner/ Secretary Fisheries Department - **Member** 3. Director Fisheries – **Member**
	3. Assistant Director Fisheries	Deputy Director Fisheries	Five Years experience on the post of Assistant Director Fisheries.	1. Chairman of Public Service Commission or any member of Public Service Commission nominated by him – **Chairman** 2. Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ Agricultural Production Commissioner/ Secretary Fisheries Department - **Member** 3. Director Fisheries – **Member**

	4. Assistant Fisheries Officer	Assistant Director Fisheries/ Assistant research officer (Fisheries)	Trained in Inland Fisheries (At the standard) of (Assistant Fisheries Officer) from any of the training Centre such as I.C.A.R., and Raipur training Centre C.G. or 5 years experience on the post of Assistant fisheries Officer or to this equivalent. **OR** M.FSc. Fisheries with 5 years experience on the post of Assistant Fisheries Officer or its euuivalent post.	1. Chairman of Public Service Commission or any member of Public Service Commission nominated by him – **Chairman** 2. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Agricultural Production Commissioner/ Secretary Fisheries Department - **Member** 3. Director Fisheries – **Member**
	5. Assistant Statistical Officer	Assistant Director Fisheries (Statistics)	5 Years experience on the post of Assistant Statistical Officer. **OR** On deputation from Economic & Statistics Department in case suitable candidate is not available in the Department	3. Chairman of Public Service Commission or any member of Public Service Commission nominated by him – **Chairman** 4. Additional Chief Secretary /Principal Secretary/ Agricultural Production Commissioner/ Secretary Fisheries Department - **Member** 3. Director Fisheries – **Member**

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 11 मार्च 2011

क्रमांक 31/क/अविअ/भू.अ./01 अ-82 वर्ष 10-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	गिधामुंड़ा	2.78	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन, महासमुन्द.	लमकेनी सरायपाली जलाशय योजना नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2010

क्रमांक 09/अ-82/09-10/अ.वि.अ./10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	लाखासार प. ह. नं. 19	0.05	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	घोंघा व्यपवर्तन योजना के नहर-निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 25 मार्च 2011

क्रमांक 11/अ-82/10-11/अ.वि.अ./11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	सकरी प. ह. नं. 26	$17.70\frac{1}{2}$	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, क्रमांक 02 बिलासपुर.	सकरी तुरकाडीह बायपास सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 25 मार्च 2011

क्रमांक 12/अ-82/08-09/अ.वि.अ./10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	कोटा प. ह. नं. 14	30.22	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	सल्का व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 मार्च 2011

क्रमांक-क/भू-अर्जन/256.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बरभांठा प. ह. नं. 13	1.772	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	सकराली माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 मार्च 2011

क्रमांक-क/भू-अर्जन/257.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	डभरा प. ह. नं. 12	1.846	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	सकराली माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 24 फरवरी 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 21/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	नेतनागर प. ह. नं. 32	4.121	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग रायगढ़ (छ.ग.)	केलो परियोजना के अंतर्गत टेंगापाली वितरक नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 फरवरी 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 22/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है: अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	पुसौर प. ह. नं. 35	13.526	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग रायगढ़ (छ.ग.)	केलो परियोजना के अंतर्गत तलीपाली वितरक नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 फरवरी 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 23/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	तड़ोला प. ह. नं. 36	2.792	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग रायगढ़ (छ.ग.)	केलो परियोजना के अंतर्गत तेलीपाली वितरक नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 फरवरी 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 24/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	भाठनपाली प. ह. नं. 32	2.910	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग रायगढ़ (छ.ग.)	केलो परियोजना के अंतर्गत टेंगापाली वितरक नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 फरवरी 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 25/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	सुर्री प. ह. नं. 29	0.482	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग रायगढ़ (छ.ग.)	केलो परियोजना के अंतर्गत झारमुड़ा शाखा नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 फरवरी 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 26/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	पटेलपाली प. ह. नं. 10	11.593	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग रायगढ़ (छ.ग.)	केलो परियोजना के अंतर्गत झारमुड़ा शाखा नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 फरवरी 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 27/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	जकेला प. ह. नं. 30	1.248	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग रायगढ़ (छ.ग.)	केलो परियोजना के अंतर्गत झारमुड़ा शाखा नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 फरवरी 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 28/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	झारमुड़ा प. ह. नं. 30	1.911	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग रायगढ़ (छ.ग.)	केलो परियोजना के अंतर्गत झारमुड़ा शाखा नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 फरवरी 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 29/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	झलमला प. ह. नं. 22	5.042	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग रायगढ़ (छ.ग.)	केलो परियोजना के अंतर्गत टेंगापाली वितरक नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 फरवरी 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 30/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कलमी प. ह. नं. 14	2.594	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग रायगढ़ (छ.ग.)	केलो परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 77/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	राईतराई प. ह. नं. 26	0.337	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-परियोजना निर्माण संभाग, लाखा, मुख्यालय खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत धनगांव वितरक नहर आर.डी.क्र. 5710 मी. से 6430 तक निर्माण हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	छिंदभौना प. ह. नं. 36	3.348	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना अंतर्गत डूबान क्षेत्र का पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 फरवरी 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 29/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	झलमला प. ह. नं. 22	5.042	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग रायगढ़ (छ.ग.)	केलो परियोजना के अंतर्गत टेंगापाली वितरक नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 फरवरी 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 30/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कलमी प. ह. नं. 14	2.594	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग रायगढ़ (छ.ग.)	केलो परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 फरवरी 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 31/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	धनागर प. ह. नं. 11	0.694	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा, मुख्यालय खरसिया.	केलो परियोजना अंतर्गत मुख्य नगर आर. डी. क्र. 12992 मी. से 13520 मी. तक के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 74/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कांशीचुंआ प. ह. नं. 1	0.081	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ+स) संभाग, रायगढ़.	पंडरीपानी कांशीचुंआ मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 75/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	चारभांठा प. ह. नं. 4	0.343	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ+स) संभाग, रायगढ़.	लेबड़ा-चारभांठा मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 76/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	पंडरीपानी प. ह. नं. 1	0.546	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ+स) संभाग, रायगढ़.	पंडरीपानी कांशीचुंआ मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 77/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	राईतराई प. ह. नं. 26	0.337	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-परियोजना निर्माण संभाग, लाखा, मुख्यालय खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत धनगांव वितरक नहर आर.डी.क्र. 5710 मी. से 6430 तक निर्माण हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	छिंदभौना प. ह. नं. 36	3.348	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना अंतर्गत डूबान क्षेत्र का पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	बड़गांव प. ह. नं. 36	0.207	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना अंतर्गत डूबान क्षेत्र का पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	बरबहली प. ह. नं. 36	2.879	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना अंतर्गत डूबान क्षेत्र का पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	राटरोट प. ह. नं. 36	0.204	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना अंतर्गत डूबान क्षेत्र का पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 8/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	सलिहारी प. ह. नं. 36	0.114	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना अंतर्गत डूबान क्षेत्र का पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 78/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	कोतरा प. ह. नं. 9	1.501	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना निर्माण संभाग, लाखा, मुख्यालय खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर आर.डी.क्र. 15620 मी. से 17225 तक निर्माण हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	सरवानी प. ह. नं. 39	0.644	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	सरवानी जलाशय की नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	जामगांव प. ह. नं. 21	0.636	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	जामगांव जलाशय की नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कोसमनारा प. ह. नं. 11	0.394	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कलारमुड़ा जलाशय की नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	परसदा प. ह. नं. 2	1.986	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कोकनीतराई जलाशय की डूब क्षेत्र में आने वाले निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	पण्डरीपानी प. ह. नं. 19	0.987	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	पण्डरीपानी जलाशय की बायीं एवं दायीं तट नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
ज़िला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	जुर्डा प. ह. नं. 19	0.126	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	पण्डरीपानी जलाशय की दायीं तट नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	नंदेली प. ह. नं. 37	0.822	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कोतासुरा जलाशय की डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	तेलीपाली प. ह. नं. 26	1.759	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	तेलीपाली जलाशय की डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2011

क्रमांक 1015/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र.-03 अ/82 वर्ष 2009-10—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	झांझ प. ह. नं. 71/16	14/1	0.24	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर परियोजना फेज 1 अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु.
			14/2	1.03		
			17	0.07		
			18	1.28		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			19	1.29		
			39	0.25		
			47	0.13		
			62	0.15		
			68	0.30		
			71	0.38		
			86/1	0.06		
			102	0.18		
			110	0.05		
			111	0.10		
			116	0.05		
			117	0.17		
			142	0.71		
			143/2	0.44		
			147	0.92		
			165	0.11		
			172	0.12		
			174	0.14		
			181	1.18		
			192	0.44		
			194	0.40		
			196	0.09		
			197	0.14		
			199	0.14		
			200	0.11		
			201	0.60		
			203	0.15		
			204	0.17		
			207	0.04		
			210	0.25		
			212	0.01		
			230	0.13		
			239/1	0.05		
			239/2	0.04		
			259	0.23		
			272	1.76		
			278	0.04		
			283	0.36		
			286	0.81		
			288	0.41		
			289	0.14		
			292	0.03		
			293	1.24		
			295	0.18		
			299	0.14		
			300	0.08		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			321	0.17		
			282/372	0.36		
			239/373	0.08		
		योग	53	18.14		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 14 मार्च 2010

रा.प्र.क्र. 03 अ/82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-स. लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-कामनब्रोड़, प.ह.नं. 55
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.890 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
112/56	0.198
112/44	0.160
133/2	0.101
112/41	0.121
133/1	0.073
112/6	0.201
133/3	0.290
124	0.240
125/1	0.130
127/14	0.180
127/13	0.202
127/5	0.050
127/22	0.090
120/3	0.070
120/4	0.130
120/2	0.101
119/2	0.020
119/6	0.101
119/7	0.071
119/7	0.020
127/25	0.150
127/128	0.081
127/23	0.060
134/2	[illegible]
योग 24	2.890

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-करंनाला बैराज परियोजना अंतर्गत अमलीडीह वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश **बंसल**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 18 फरवरी 2011

क्रमांक 1/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-अंधियारखोह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.08 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	76	0.37
	73	0.71
योग	2	1.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सेमरहा जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 फरवरी 2011

क्रमांक 3/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-अंधियारखोह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.02 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
74	0.19
93/1	0.47
118/4	0.34
175/2	0.10
118/5	0.38
122/5	0.32
177	0.11
83	0.12
166/3	0.44
175/3	0.80
108	0.28
168, 169	0.02
178	0.70
107/3	0.36
180	0.38
120	0.34
174	0.16
147	0.52
148	0.19
149	0.09
77	0.19
84	0.14
86/1	0.04
165/1	0.21
107/1	0.21
115/1	0.16
166/4	0.31
116	0.38
179	0.54
107/2	0.28
181/5	0.56
85	0.66

	(1)	(2)
	118/3	0.03
योग	32	10.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सेमरहा जलाशय मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 फरवरी 2011

क्रमांक 7/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-गांगपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-18.60 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
640	0.02
812	0.11
823/2	0.23
867/2	0.19
735/7	0.02
850/1	0.10
783	0.23
452/1	0.37
772/1	0.09
775	0.30
776	0.23
853/1	0.14
932/7	0.07
733	0.30
852	0.05
844	0.06
731	0.15
849/2	0.07
883	0.11
864/2	0.09
879/1	0.36
879/2, 880/1, 881/1	0.21
718/1	0.12
932/6	0.41
453/1	0.01
453/2	0.11
926/2	0.03
927	0.10
928	0.04
864/1	0.09
730	0.31
496	0.15
727	0.24
728	0.14
749	0.02
782/3, 782/4, 782/5	0.56
880/2	0.14
505/2	0.25
507	0.11
758	0.08
748	0.72
755	0.29
863	0.25
809	0.07
816/1	0.05
816/4	0.06
816/5	0.01
757	0.41
807/1, 808/2	0.03
867/1	0.20
641/1	0.07
486/2	0.09
754/2	0.39
446	0.48
454	0.38
720	0.39
765	0.44
813	0.15

(1)	(2)
825/2	0.19
760	0.18
771	0.08
878/1	0.16
880/3	0.14
881/1	0.04
882	0.07
777	0.38
718/2	0.41
849/1	0.07
862	0.09
497/3	0.26
767	0.42
754/1	0.40
898/1	0.16
506	0.15
764	0.70
845	0.20
898/2	0.16
781	0.17
811	0.04
759	0.31
899	0.24
618	0.22
766/2	0.18
497/2	0.05
877/1	0.31
877/2	0.30
772/2	0.09
938/1 क	0.22
850/2	0.10
734	0.38
622	0.09
623	0.12
625	0.10
768	0.28
769	0.01
770	0.08
878/2	0.16
योग 95	18.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गांगपुर जलाशय मुख्य एवं माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेंड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 मार्च 2011

क्रमांक 4/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-कोरजा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.23 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
740/4	0.08
743/2	0.17
784/2, 785/2	0.15
728/5	0.10
789/1	0.31
722/2, 728/4	0.39
744/4	0.14
738/3, 782/2	0.05
936/4	0.20
962	0.10
994/1 ख	0.14
782/3	0.18
734/1, 788/1	0.04
789/2	0.11
734/2, 788/2	0.12
953, 955, 969, 975	0.43
976	0.03
744/2	0.10
783/1	0.05
658/2	0.05
658/4 ख	0.11
740/1, 741	0.24
790/2	0.10
784/1, 785/1	0.05
785/4	0.05
932	0.02
936/5	0.04
936/6	0.09

(1)	(2)
985	0.29
657/2	0.06
722/1	0.08
994/1 क	0.13
743/3	0.15
973, 974, 980, 981/1	0.28
790/1	0.13
986	0.20
745	0.06
744/5	0.04
789/3	0.17
योग 38	5.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मल्हनिया जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 मार्च 2011

क्रमांक 6/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-कोरजा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-13.84 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
212	0.10
59/33	1.89
59/35	0.60
237	0.17
59/22	3.30
59/36	0.52
59/52	0.85
208/3	0.09
293/2	0.14
183/2	0.12
182/1	0.08
197/1	0.40
202	0.18
238/1	0.13
59/6	2.00
64/2, 67/2	0.46
64/1, 67/1	0.69
196	0.20
201	0.15
59/20	0.75
59/37	0.76
208/2	0.14
211	0.03
208/1	0.09
योग 24	13.84

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गांगपुर जलाशय के डूब, मुख्य नहर एवं माइनर नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 मार्च 2011

क्रमांक 10/अ-82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड

(ग) नगर/ग्राम-अंधियारखोह

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.46 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	198	0.38
	312	0.05
	311/2	0.55
	304	0.66
	313	0.18
	175/2	0.12
	199	0.15
	190	0.46
	309/2	0.58
	310	0.09
	309/1	0.20
	305	0.03
	299, 302	0.48
	175/1	0.50
	156, 157	0.25
	300	0.12
	301	0.32
	189	0.34
योग	17	5.46

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सेमरहा जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 मार्च 2011

क्रमांक 18/अ-82/09-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड

(ग) नगर/ग्राम-धनगवां

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.18 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	767/12	0.12
	802/13	0.24
	802/7	0.96
	770/2	0.06
	772/1	0.21
	802/15	0.14
	770/4	0.55
	802/21	0.25
	802/23	0.55
	803/8	1.10
योग	10	4.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आन्दुल (जोगीडोंगरी) जलाशय की दायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 मार्च 2011

क्रमांक 09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-नैला, प. ह. नं. 42/48
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.30 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	1119/1	0.30
योग	1	0.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जांजगीर-नैला रोड निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 22 मार्च 2011

भू-अर्जन प्र. क्र. 36/अ-82/09-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कोसमपाली, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.951 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	155	0.040
	156/3	0.235
	157/3 घ	0.433
	157/217	0.214
	193	0.129
	156/1	0.235
	157/3 ख	1.214
	157/3 च	0.809
	191	0.053
	194	0.105
	156/2	0.343
	157/3 ग	0.061
	157/3 छ	0.607
	192	0.049
	210/9	0.424
योग	15	4.951

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-कोसमपाली जलाशय निर्माण के लिये निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 मार्च 2011

भू-अर्जन प्र. क्र. 37/अ-82/09-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-विश्वनाथपाली, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.867 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/4	0.547
3/3	0.129
1/5	0.040
9/2	0.170
3/2	0.101
6	0.117
9/1	0.384
9/4	0.247
98	0.065
8/1	0.028
117	0.041
4	1.368
18/1	0.065
9/3	0.186
5/2	0.174
3/4	0.097
7/1	0.045
9/5	0.259
10	0.336
97	0.073
11/2	0.566
96	0.121
3/1	0.109
5/1	0.336
8/2	0.206
16	0.033
3/5	0.089
7/2	0.045
13/2	0.229
12	0.656
2	0.462
13/1	0.320
17	0.223
योग 33	7.867

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-विश्वनाथपाली के जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 मार्च 2011

भू-अर्जन प्र. क्र. 38/अ-82/09-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-शकरबोगा, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.923 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
335/3	0.105
319	0.049
320	0.008
314/1	0.040
281/4	0.093
335/2	0.049
315/1	0.130
317	0.045
281/1	0.040
335/1	0.154
314/2	0.008
313	0.040
281/11	0.162
योग 13	0.923

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-शकरबोगा जलाशय के नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 मार्च 2011

भू-अर्जन प्र. क्र. 39/अ-82/09-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-लोईंग, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.071 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	79/2	0.202
	79/11	1.214
	79/3	0.405
	82/8	0.121
	79/4	0.097
	82/12	0.032
योग	6	2.071

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-विश्वनाथपाली जलाशय के डूब क्षेत्र में आने वाले निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 मार्च 2011

भू-अर्जन प्र. क्र. 40/अ-82/09-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कोटमार, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.405 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	153/2	0.405
योग	1	0.405

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-कोटमार एनीकट निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (जिला शहरी विकास अभिकरण शाखा), जिला जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 नवम्बर 2010

क्रमांक/15797/जि.श.वि.शाखा/106/पार्षद पद त्याग/2010.—एतद्द्वारा नगर पंचायत राहौद के वार्ड नं. 15 के पार्षद श्री अशोक कुमार आ. स्व. श्री रामगोपाल चन्द्राकर, नगर पंचायत राहौद शिक्षा कर्मी वर्ग-2 में चयन होने के कारण उनके द्वारा स्वेच्छा से त्याग पत्र देने से अध्यक्ष महोदय के अनुशंसानुसार छ.ग. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 40 (2) (एक) के अंतर्गत त्याग पत्र स्वीकृत किया जाता है.

पी. के. शुक्ला,
परियोजना अधिकारी.

छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड

बीज भवन (भू-तल), छत्तीसगढ़ होटल के सामने, जी.ई.रोड, रविग्राम, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 मार्च 2011

क्र./बोर्ड/बी-8/भार. अधिकारी/10-11/8360.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बोर्ड/बी-8/भार. अधिकारी/10-11/7574, रायपुर दिनांक 17-02-2011 द्वारा श्री पी. एस. एल्मा, अपर कलेक्टर दुर्ग को कृषि उपज मंडी समिति दुर्ग का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया है.

कलेक्टर, जिला दुर्ग का पत्र दिनांक 16-03-2011 से अवगत कराया गया है कि श्री पी. एस. एल्मा अपर कलेक्टर एवं भारसाधक अधिकारी कृषि उपज मंडी समिति दुर्ग का स्थानांतरण आयुक्त नगर पालिका निगम राजनांदगांव के पद पर हो जाने के फलस्वरूप, छ.ग. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा 1 के खंड "ख" में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा आगामी आदेश पर्यन्त तक, श्री पी. एस. एल्मा के स्थान पर श्री धर्मवीर शर्मा, अपर कलेक्टर, दुर्ग को कृषि उपज मंडी समिति दुर्ग के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

अनिल कुमार साहू,
प्रबंध संचालक.

न्यायालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा, जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

डभरा, दिनांक 11 फरवरी 2011

प्रारूप-ख

[नियम-5 (1) देखिए]

क्रमांक 40.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम कलमा, प. ह. नं. 26, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) से परिवहन हेतु ग्राम बड़े भंडार प.ह.नं. 39, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) तक मेसर्स कोरबा वेस्ट पावर कम्पनी लि. बड़े भंडार, द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी है,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा-26	79	0.16

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			134	0.01
			167	0.27
			168	0.03
			164	0.25
			163	0.07
			135/1	0.40
			84	0.24
			76	0.85
			74/1	0.15
			41/1 क	0.23
			46	0.14
			43	0.02
			45	0.11
			49	0.14
			52	0.22
			53	0.02
			2	0.92
			203	0.02
			202/1	0.17
			202/3	0.12
			184/3	0.27
			215	0.07
			183/1	0.03
			224/1	0.27
			179/1	0.13
			226	0.24
			227	0.28
			230	0.42
			224/2	0.02
			229	0.19
			योग	**6.45**

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी डभरा जिला-जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

सी. एस. श्रीवास्तव,
सक्षम प्राधिकारी.